रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274115
CG-DL-E-04072026-274115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3399] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948
No. 3399] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3534(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात्कि आंध्रप्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716 के 52.730 कि.मी. से. 101.620 कि.मी तक के भूखण्ड (कडपा से रेनिगुंटा सेक्शन)का निर्माण (चौडा करने/ चारलेन का बनानाआदि,), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात संयुक्त कलेक्टर, तिरुपति को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथाऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और.

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 716 के 52.730 कि.मी.से 101.620 कि.मी.तक (कडपा से रेनिगुंटा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: तिरुपति		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कोदूर					
गांव का नाम: उप्पारपल्ली					
1	2566	सरकारी	(ए.डबल्यू.डी)	3025 (वर्ग मीटर)	0.3025
2	2567	सरकारी	(ए.डबल्यू.डी)	4290 (वर्ग मीटर)	0.429
3	2570	सरकारी	(ए.डबल्यू.डी)	9460 (वर्ग मीटर)	0.946
4	2574	सरकारी	(ए.डबल्यू.डी)	11110 (वर्ग मीटर)	1.111
5	2578	सरकारी	(ए.डबल्यू.डी)	825 (वर्ग मीटर)	0.0825
6	2579	सरकारी	(ए.डबल्यू.डी)	9735 (वर्ग मीटर)	0.9735
7	2583	सरकारी	(ए.डबल्यू.डी)	8195 (वर्ग मीटर)	0.8195
8	2586	सरकारी	(ए.डबल्यू.डी)	8250 (वर्ग मीटर)	0.825
				Total	5.489

[फा. सं. 2056/3A]
शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3534(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.,), maintenance, management and operation of National Highway No 716 in the stretch of land from Km 52.730 to Km 101.620 (Kadapa to Renigunta Section) in the district of Tirupati in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Joint Collector, Tirupati in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km. 52.730 to Km. 101.620 (Kadapa - Renigunta Section) of the National Highway No. 716 in the District of Tirupati in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			**District: Tirupati**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Kodur					
Village: Upparapalle					
1	2566	Government	(A.W.D)	3025 (Square Meter)	0.3025
2	2567	Government	(A.W.D)	4290 (Square Meter)	0.429
3	2570	Government	(A.W.D)	9460 (Square Meter)	0.946
4	2574	Government	(A.W.D)	11110 (Square Meter)	1.111
5	2578	Government	(A.W.D)	825 (Square Meter)	0.0825
6	2579	Government	(A.W.D)	9735 (Square Meter)	0.9735
7	2583	Government	(A.W.D)	8195 (Square Meter)	0.8195
8	2586	Government	(A.W.D)	8250 (Square Meter)	0.825
				Total	**5.489**

[F. No. 2056/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.04 13:11:43 +05'30'